न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारीः—उम्मेदसिंह रतनू आर.ए.एस
प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धाराः—136 एलआरएक्ट
प्रकरण संख्याः—50/18

1. रमेश कुमार पुत्र राजेन्द्र जाति जाट निवासी पोहड़का हाल आवाद चक 19 केएनएन तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

—प्रार्थी

बनाम्

1. जयसिंह पुत्र राजेन्द्र जाति जाट निवासी पोहड़का हाल आवाद चक 19 केएनएन तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

—अप्रार्थीगण

उपस्थितः—श्री विकास शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक :— 15.1.2019

प्रार्थी रमेश कुमार ने अप्रार्थीगण के विरूद्व यह प्रार्थना—पत्र बावत दुरूस्ती के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि चक नं0 18 केएनएन के खाता सं0 27 में प0न0 287/380 मु0 70 किला नं0 14 से 17/1.012 है0, प्रार्थी तथा अप्रार्थी सं0 1 के नाम व0हि0व0 तथा इसी चक 18 केएनएन के संयुक्त खाता सं0 128 के प0न0 288/380 किला नं0 21/.253, प0न0 287/380 किला नं0 1/.253, 8से 13/1.518 हे0, 18 से 22, 24 से 25/1.771 हे0 प0न0 286/380 किला नं0 6,15,16/.759 है0 प0न0 287/381 किला नं0 4 से 7/1.012 हे0 प0न0 288/381 किला नं0 1 से 2/.506 कुल 5.857 हे0 में 0.734 है0 व0हि0व0 दर्ज है।

यह कि उक्त भूमि के दोनो खातो में प्रार्थी सं0 1 का नाम रमेश कुमार की बजाय रमेश सिंह तथा प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 के पिता का नाम राजेन्द्र उर्फ राजाराम दर्ज सहवन से हुआ है। प्रार्थी सं0 1 का सही नाम रमेश कुमार वा पिता का नाम सिर्फ राजेन्द्र है। प्रार्थी सं0 1 के आधार कार्ड में तथा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया बैंक के खाता में प्राथी का सही नाम रमेश कुमार तथा पिता का नाम राजेन्द्र दर्ज हे। इसी प्रकार अप्रार्थी सं0 1 के आधार काड, एसबीआई के खताा खाता में व राशन कार्ड में अप्रार्थी सं0 2 का नाम जयसिह पुत्र राजेन्द्र दर्ज है तथा प्रार्थी के पिता का नाम आधार कार्ड में तथा इल्कट्रोड सर्टिफाइड में प्रार्थी तथा अप्रार्थी सं0 1 के पिता का नाम राजेन्द्र पुत्र रामचन्द्र दर्ज है। भूमि के खाता में अप्रार्थी सं0 1 का नाम रमेश सिंह दर्ज होने व प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 के पिता का नाम राजेन्द्र के आगे उर्फ राजाराम लिखा होने से लोन लेने या अन्य कानूनी औपचारितका तथा आवश्यकता के समय भूमि के खाता तथा आधार कार्ड आदि में तफावत रहने से परेशानी वा कानूनी अड़चन रहती है। इसलिए प्रार्थी चक नं.18 केएनएन के खाता सं0 17/114 तथा खाता सं0 128/113 में अपना नाम रमेश सिंह के स्थान पर रमेश कुमार तथा दोनों खातों में प्रार्थी एंव अप्रार्थी सं0 1 के पिता के नाम राजेन्द्र उर्फ राजाराम के स्थान पर सिर्फ राजेन्द्र अंकित कर रमेश कुमार—जयसिंह पि0 राजेन्द्र की शुद्वि करवाना चाहता है। अप्रार्थी सं0 1 की ओर से अनुतोष की याचना प्रार्थी करता है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी को कई मर्तबा कहा कि वह प्रार्थनापत्र में अंकित प्रार्थी की भूमि के खाता में प्रार्थी का नाम व प्रार्थी के पिता का नाम दुरूस्त करवा देवे तो वह कतई इन्कार हो गये।

Scanned by CamScanner

उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थनापत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया॥ अप्रार्थी सं0 2 स्टेट द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया व अंकित किया कि मामला दुरूस्ती का है राजस्व रिकार्ड में अगर दुरूस्ती की जाती है तो स्टेट को कोई आपत्ति नहीं है व राज्यहित प्रभावित नहीं होते है।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि चक नं.18 केएनएन के खाता सं0 17/114 तथा खाता सं0 128/113 में अपना नाम रमेश सिंह के स्थान पर रमेश कुमार तथा दोनों खातों में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 के पिता के नाम राजेन्द्र उर्फ राजाराम के स्थान पर सिर्फ राजेन्द्र अंकित कर रमेश कुमार–जयसिंह पि0 राजेन्द्र अंकन किया जावे। प्रार्थी व अप्रार्थी जयसिंह की ओर से शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये।

बहस सुनी गई। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया॥ चक नं.18 केएनएन के खाता सं0 17/114 व खाता सं0 128/113 में प्रार्थी का नाम रमेश सिंह अंकित है व पिता का नाम राजेन्द्र उर्फ राजाराम दर्ज है जिसको दुरूस्त करवाकर रमेश कुमार–जयसिंह पि0 राजेन्द्र अंकित करवाने का अनुतोष चाहा है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है चक नं.18 केएनएन के खाता सं0 27/114 तथा खाता सं0 128/113 में दर्ज नाम रमेश सिंह के स्थान पर रमेश कुमार तथा दोनों खातों में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 के पिता के नाम राजेन्द्र उर्फ राजाराम के स्थान पर सिर्फ राजेन्द्र नाम की शुद्वि किये जाने के आदेश दिये जाते है॥ इसी अनुसार रिकार्ड में दुरूस्ती की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे॥ पालनार्थ तहसीलदार टिब्बी को अलग से पत्र जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.1.2015 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

Scanned by CamScanner